पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो प्रतिकूल मौसम मानकों जैसे वर्षा, तापमान, नमी आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कवर करती हैं। जो किसानों को प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप खेतों में होने वाली हानि से सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।

मौसम मानदंड वर्षा कमी/अधिकता, सूखे दिनों की परेशानी(सूखा),तापमान की अत्यधिक अस्थिरता, कम/अधिक तापमान, संबंधित नमी, वायु की गति और/या उपर्युक्त सभी का संयोजन हो सकते हैं।

प्रत्येक फसल के लिए उत्पाद के नियम और शर्तें पहले से ही निर्धारित और सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित होता है।

दावों का मूल्यांकन

दावों की गणना उत्पाद की शर्तों की शीट में उल्लेखित पूर्व सहमत सहिष्णुता और सीमा स्तर के लिए की जाती है और दावों की गणना के लिए किसी अन्य प्रणाली और परिकलन का प्रयोग नहीं किया जाता।

दावों का मूल्यांकन केवल अधिसूचित मौसम स्टेशन पर मौसम आंकड़ों के आधार पर ही की जाएगी और दावा प्रक्रिया एक बार मौसम आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद प्रारंभ होगी।

दावा प्रक्रिया सख्ती से उत्पाद शर्त शीट, भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार होगी।

मौसम के आंकड़े आईएमडी(भारतीय मौसमविज्ञान विभाग), एनसीएमएल(राष्ट्रीय सहायक प्रबंधक लिमिटेड), एसकेवाईएमईटी आदि, जैसे स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जिसे सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है।

दावों के मूल्यांकन के लिए फसल का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पाद शर्त शीट में इसे विशेष तौर उल्लेखित न किया जाए।

आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत अधिकतर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें कवर की जाती हैं

प्रीमियम दरें

किसानों के लिए बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 % या बीमांकिक प्रीमियम दर में से जो भी कम हो, होती है।

आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर किए जाने के लिए किसान की पात्रता क्या है?

बीमा में दिलचस्पी लेने वाले, बटाईदार और बलकट किसानों सहित सभी सभी किसान इन योजनाओं के तहत कवर किए जा सकते हैं।

नामांकन समय सीमा

सभी नामांकन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना में निर्धारित निर्दिष्ट तिथि के भीतर अवश्य पूरे हो जाने चाहिए और किसानों के हिस्से का प्रीमियम को भी बिचौलिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि के भीतर बीमा कंपनी को विधिवत सौंप दिया जाना चाहिए। निर्दिष्ट तिथि से कोई भी देर होने के मामले में बीमा कंपनी के पास दावे को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

व्यक्तिगत किसान कि लिए बीमा राशि

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर वित्त मापन के साथ किसान द्वारा बीमा के लिए अधिसूचित फसल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। खरीफ 2018 के लिए एचडीएफसी एग्रो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए बीमांकित राशि को संबंधित राज्य खंड में देखा जा सकता है।

आंकड़े प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी दावों का निबटान

बीमा कंपनियों को योजना समाप्ति तिथि के तीन सप्ताह के भीतर अंतिम दावों का भुगतान करना चाहिए।

बीमाकर्ताओं के लिए मूल्य निर्धारित करने या प्रीमियम दर व्युत्पन्न करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं

योजना चुनिंदा सीमांकित क्षेत्रों में जो बीमा इकाई(आईयू) कहलाते हैं, में क्षेत्र दृष्टिकोण के सिद्धांत पर संचालित होती है। राज्य सरकारों को बीमा इकाइयों को मौसम स्टेशन लगाने के लिए अधिसूचित करना चाहिए।

कर्ज़दार और गैर कर्ज़दार किसानों दोनों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि समान और वित्त मानक, जैसा कि जिला स्तर तकनीकि समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा, के बराबर होगी, और एसएलसीसीसीआई इसकी पूर्व घोषणा करेगी और बीमा कंपनियों को इसकी सूचना देगी।